

**कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

-: कार्यालयीन आदेश :-

आदेश क्रमांक 106 /न्याया.शाखा../प्र.अ./लोस्वायांवि/2024 :- शासन के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2024/34-1/नवा रायपुर दिनांक 24.05.2024 एवं क्रमांक एफ 3-17/2024/34-1/नवा रायपुर दिनांक 14.06.2024 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण दिये जाने के संबंध में पारित आदेशों पर "वित्त विभाग द्वारा "न्यायालयीन आदेश प्राप्त प्रकरणों में, माननीय न्यायालय के आदेशों का परिपालन किये जाने का परामर्श दिया जाता है।" का सुझाव दिया गया है", के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदनुसार एतद् द्वारा शासन के निर्देश के परिपालन में निम्नांकित तालिका के कॉलम क्र. 2 में दर्शित कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा कॉलम क्र. 3 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर की गई याचिकाओं पर कॉलम क्र. 4 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकरणों में संबंधित कार्यभारित कर्मचारियों को नियमानुसार देय अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान करने आदेशित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रकरण में वादी की संख्या एवं वादी का नाम	याचिका क्रमांक	मान.न्याया.द्वारा पारित निर्णय दिनांक
1	2	3	4
1	1 Dilip Kumar Panday	W.P.(S) No. 1878/2024 Shri Dilip Kumar Panday Vs. State of CG & 02 Others.	27.03.2024
2	1 Shri Bhukhau Ram Rathore	W.P.(S) No. 2256/2024 Shri BHUKHAU RAM RATHORE & 01 others Vs. State of CG & 05 Others.	15.04.2024
3	2 Shri Dhanau Ram Rathore		
4	1 Shri Raj Kumar panday	W.P.(S) No. 2299/2024 Shri Raj Kumar panday Vs. State of CG & 05 Others.	18.04.2024
5	1 Ravi Shankar Sharma	W.P.(S) No. 2304/2024 Shri Ravi Shankar Sharma Vs. State of CG & 05 Others.	18.04.2024
6	1 Mukhiram yadav	W.P.(S) No. 2312/2024 Shri Mukhiram yadav Vs. State of CG & 05 Others.	18.04.2024
7	1 Dadu Ram Sahu	W.P.(S) No. 2483/2024 Shri Dadu Ram Sahu Vs. State of CG & 05 Others.	29.04.2024
8	1 Surendra Faye Soni	W.P.(S) No. 2494/2024 Shri Surendra faye Soni Vs. State of CG & 05 Others	29.04.2024
9	1 Baldau Ram Gahwai	W.P.(S) No. 764\2024 Shri Baldau Ram Gahwai Vs. State of C.G. & Others.	08.02.2024

निरन्तर.....02

क्र.	प्रकरण में वादी की संख्या एवं वादी का नाम		याचिका क्रमांक	मान.न्याया.द्वारा पारित निर्णय दिनांक
1	2		3	4
10	1	Dinesh Kumar Raikwar	W.P.(S) No. 2703/2024 Shri Dinesh Kumar Raikwar & 11 Others Vs. State of CG & Others.	10.05.2024
11	2	Bharat Lal Verma		
12	3	Nand Kumar Sahu		
13	4	Bas Nayak		
14	5	Basir Mohammad		
15	6	Bhagwano Meher		
16	7	Pramod Pradhan		
17	8	Pyari Lal Nayak		
18	9	Liladhar Prasad Vishwakarma		
19	10	Narshingh Nath Verma		
20	11	Uday Ram Sahu		
21	12	Mangi Lal Sahu		
22	1	Vijay Kumar Sharma	W.P.(S) No. 2728/2024 Shri Vijay Kumar Sharma Vs. State of C.G. & Others.	10.05.2024

उपरोक्त अवकाश नगदीकरण, मद क्रमांक 06-2071-01-115-0000-5438-12-003-V में विकलनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

वसि/-
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)


प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृ.क्र. 2929/न्याया./प्र.अ./लोस्वायांवि/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, को अवगत कराने हेतु अनुरोध है।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर शासन के पत्र क्र. एफ-3-17/2024/34-1/नवा रायपुर दिनांक 14.06.2024 से प्राप्त निर्देश के परिपालन में की गई कार्यवाही से कृपया अवगत होना चाहेंगे।
- महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर की ओर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र.....की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निरन्तर.....03

5. श्री संजय सिंह, अधीक्षण अभियंता एवं नोडल अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल बिलासपुर को ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित है कि, कृपया संबंधित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर को अवगत कराते हुए याचिकाओं से संबंधित फाइलों में भुगतान हेतु की गई आदेश की प्रति नियमानुसार संलग्न कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल को निर्देशित किया जाता है कि, शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरणों पर भुगतान सुनिश्चित करावें एवं पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान करते हुए, इस कार्यालय को अवगत करावें।
8. कार्यपालन अभियंता, (एम.आई.एस.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाइट के सूचना पलक में अपरोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. सर्वसम्बंधित कर्मचारी श्री/श्रीमति/.....
.....
की ओर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में उनके द्वारा दायर की गई याचिका के निराकरण के संबंध में लेख है कि आपके अवकाश नगदीकरण का भुगतान संबंधित खण्ड कार्यालय द्वारा किया जावेगा। कृपया अवगत होवें।
10. कार्यालयीन आदेश प्रति।


 प्रमुख अभियंता
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर